रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112026-277738
CG-DL-E-06112026-277738

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 868] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2026/कार्तिक 12, 1948
No. 868] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2026/KARTIKA 12, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2026

सा.का.नि. 970(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेश व्यापार महानिदेशालय (उच्च श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2021 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में उच्च श्रेणी लिपिक (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2026 है।

(ii) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों के उपाबंध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले वही होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** कोई व्यक्ति, -

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, इसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अनिवार्य है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उच्च श्रेणी लिपिक	405* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। पश्चिमी क्षेत्रः 154 दक्षिण क्षेत्रः 69 पूर्वी क्षेत्रः 88 उत्तरी क्षेत्रः 94 कुल : 405 *	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित)	स्तर-4 (25500-81000/-रु.)	अचयन।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्तीसीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वेतन मेट्रिक्स में स्तर, जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना?	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में अवर श्रेणी लिपिक स्तर-2 (19900-63200/-रु) **टिप्पण 1 :** जहां कनिष्ठों ने अपनी अर्हक पात्रता सेवा पूरी कर ली है, और जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे ऐसी योग्यता/पात्रता सेवा के लिए आधे से अधिक या दो वर्ष की अपेक्षित योग्यता/पात्रता सेवा से कम पूरी न हों, जो भी कम हो, और अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। **टिप्पण 2 :** विभाग नेइन नियमों की अधिसूचना की तारीख को अवर श्रेणी लिपिक के पद पर पदधारक व्यक्ति के लिए अर्हता सेवा पांच वर्ष बनी रहेगी। **प्रतिनियुक्तिः** केंद्र सरकार के अधिकारीः (i) वर्तमान संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण करना; (ii) वर्तमान संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु 19900-	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टिकरण पर विचार के लिए) जिनमें सम्मिलित हैं: 1. संबंधित क्षेत्र के संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार - **अध्यक्ष**; 2. संबंधित क्षेत्र के उप महानिदेशक विदेश व्यापार (प्रशासन) - **सदस्य**; 3. अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्षेत्रीय मुख्यालय स्थान पर स्थित किसी भी केन्द्रीय सरकार कार्यालय से अवर सचिव या समकक्ष अधिकारी-**सदस्य;** 4. मुख्यालय से उप महानिदेशक/ या सहायक महानिदेशक (प्रशासन) - **सदस्य।**	लागू नहीं।

63200) में अवर श्रेणी लिपिक या समकक्ष में आठ वर्ष की सेवा के साथ। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर- बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं. ए-12018/4/2018/एच.आर.डी.-II]

आर.एन.प्रसाद,उप महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2026

G.S.R. 970(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General of Foreign Trade (Upper Division Clerk), Recruitment Rules, 2021, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk in the Directorate General of Foreign Trade, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Directorate General of Foreign Trade, Upper Division Clerk (Group 'C'), Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matter relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(ii) who are having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall not be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled castes, the Scheduled tribes, the other backward classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Upper Division Clerk.	405 * (2026) * Subject to variation depending on workload. Western Zone : 154 Southern Zone : 69 Eastern Zone : 88 Norther Zone : 94 Total : 405	General Central Service, Group 'C', (Non-gazetted), Non-ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Non-selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion : Lower Division Clerk in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with eight years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Joint Director General of Foreign Trade (Administration) of the Zone concerned. – Chairperson; 2. Deputy Director General of Foreign Trade (Administration) of the Zone concerned. – Member; 3. An officer of the rank of Under Secretary or equivalent from any	Not applicable.

Note 2 : The eligibility service of the incumbent holding the post of Lower Division Clerk in the Department as on the date of notification of these rules shall continue to be five years. Deputation : Officers of the Central Government , (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with eight years service rendered after appointment thereto in the Post of Lower Division Clerk on a regular basis in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) or equivalent in the parent cadre or Department. Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.	of the Central Government Office located at Zonal Headquarters location to represent Scheduled Caste or Scheduled Tribe.- Member; 4. Deputy Director General of Foreign Trade or Assistant Director General of Foreign Trade (Administration of the Headquarters). – Member.	

[F. No. A-12018/4/2018/HRD-II]

RAM NAGINA PRASAD, Deputy Director General of Foreign Trade

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA Digitally signed by BHABAJIT DEKA Date: 2024.11.06 23:00:56 +05'30'